

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ-4-125/सात-1/2015

रायपुर, दिनांक /11/2016

प्रति,

01 DEC 2016

कलेक्टर,

जिला-रायगढ़

(छ0ग0)

विषय :- नवीन भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम(कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015

(सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल एवं विशेषज्ञ दल के सदस्यों को मानदेय वितरण)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 8869/भू-अर्जन/2016 दिनांक 6.10.2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 के अंतर्गत छ0ग0 राज्य में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने के लिए " छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सहमति तथा जन सुनवाई 2016) नियम बनाये गये हैं।

2/- नवीन भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-7 में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसके मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बहुशासी अशासकीय समूह गठन करने का प्रावधान किया गया है।

3/- अतः नीजि क्षेत्र के अशासकीय सदस्यों/विशेषज्ञों की उपलब्धता उनके ज्ञान अथवा अनुभव को अधिभार देते हुए निम्नानुसार मानदेय की दर निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	प्रतिनिधियों का स्वरूप	मानदेय (सम्पूर्ण अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए)		यात्रा एवं अन्य व्यय
		स्थानीय विशेषज्ञ	बाहर से आने वाले विशेषज्ञ	
1.	सामाजिक विशेषज्ञ विशेषज्ञ/पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ/तकनीकी विशेषज्ञ	20,000/- रुपये	40,000/- रुपये	वास्तविक यात्रा व्यय , (बाहर से आने पर)
2	स्थानीय निकाय प्रतिनिधि	5,000/- रुपये	-	-
3	शासकीय प्रतिनिधि	1000/- रुपये	-	-

4	परियोजना क्षेत्र के भ्रमण हेतु दल के लिये वाहन की व्यवस्था पृथक से की जावेगी । वाहन किराया वास्तविक दर पर भुगतान किया जावेगा ।
5	जन सुनवाई तथा सम्मेलन आदि के लिये आवश्यक व्यवस्था की जावेगी, जिसका भुगतान वास्तविक दर पर किया जावेगा ।
6	रिपोर्ट तैयार करने के लिये पृथक से 10,000/- रुपये व्यय किया जा सकेगा ।

(³²धी.निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 01/11/2016

पृ0कमांक/4-125/सात-1/2015

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
2. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
3. ~~समस्त~~ कलेक्टर, छत्तीसगढ़
4. निज सहायक, सचिव/संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय ।

(³²संयुक्त सचिव)

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग